न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 67 / 2025

श्री वैभव शुक्ला निवासी जयपुर राज0 पिन 302020 --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 28.08.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1.टोंक जिले में जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2025 तक मस्जिद, मदरसा, दरगाह, मजार ईदगाह और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए दी अनुमतियों की कुल संख्या।

2.प्रत्येक अनुमति का विवंरण, जिसमें शामिल हो निर्माण का प्रकार (मस्जिद, मदरसा दरगाह मजार, ईदगाह आदि)

-स्थान (पूरा पता, तहसील, गांव / शहर) अनुमति की तारीख

- अनुमति देने वाला प्राधिकरण

3.यदि इस अवधि में कोई अनाधिकृत निर्माण दर्ज किया गया हो, तो उसका विवरण।

4.कृपया जानकारी कागजी कॉपी डिजिटल प्रारूप में प्रदान करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1395 दिनांक 25.07.2025 व 1545 दिनांक 8.08.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 780 दिनांक 13.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर अन्य ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध भिन्न-भिन्न लोक सूचना अधिकारियों से होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज कर पत्र कमांक 758 दिनांक 05.08.2025 से अपीलांट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
टोंक